रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 781] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 23, 1993/पौष 2, 1915
No. 781] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 23, 1993/PAUSA 2, 1915

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1993

सं 62/93 – (एन टी) – सीमाशुल्क

का. आ. 1009(अ) – केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य के चेंगलपटटू एम जी आर जिला में इन्नौर पतन को अमोनिया की उतराई के लिए सीमा-शुल्क पत्तन नियत करती है।

[फा. सं. 574/3/93 – एन. सी.]

एस. एम. भटनागर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 1993

NO. 62/93(NT)-CUSTOMS

S.O. 1009(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby appoints the port of Ennore in Chengalpattu MGR District in the State of Tamil Nadu to be a Customs port for the unloading of Ammonia.

[F. No. 574/3/93-LC]

S. M. BHATNAGAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1993

सं 63/93 (एन टी) – सीमाशुल्क

का. आ. 1010(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं 75/73–सीमाशुल्क, तारीख 19 मई, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 6, 7, 8 और 12 के सामने की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा सं 574 1क/93 – एल सी]

एस एम भटनागर, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 1993

NO. 63/93(NT)-CUSTOMS

S.O. 1010(E).—In exercise of powers conferred by clause (d) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby

makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 75|73-Customs, dated the 19th May, 1973, namely :—

In the Schedule to the said notification, the entries against Serial number 6, 7, 8 and 12 shall be omitted.

[F. No. 574|4-A|93-L.C.]
S. M. BHATNAGAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994